प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

आज़ादी का अमृत महोत्सव

29 दिसंबर 2022

भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर
(मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

केंद्र सरकार की नकदी की स्थिति की समीक्षा के पश्चात, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम के लिए निम्नानुसार राशियां अधिसूचित करने का निर्णय लिया हैः

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023)					
					(₹ करोड़)
नीलामी की तारीख	**निर्गम तारीख**	**91 दिवसीय**	**182 दिवसीय**	**364 दिवसीय**	**कुल**
4 जनवरी 2023	5 जनवरी 2023	7,000	13,000	10,000	30,000
11 जनवरी 2023	12 जनवरी 2023	7,000	13,000	10,000	30,000
18 जनवरी 2023	19 जनवरी 2023	7,000	13,000	10,000	30,000
25 जनवरी 2023	27 जनवरी 2023	7,000	12,000	10,000	29,000
1 फरवरी 2023	2 फरवरी 2023	7,000	12,000	10,000	29,000
8 फरवरी 2023	9 फरवरी 2023	7,000	12,000	10,000	29,000
15 फरवरी 2023	16 फरवरी 2023	7,000	12,000	10,000	29,000
22 फरवरी 2023	23 फरवरी 2023	7,000	12,000	10,000	29,000
1 मार्च 2023	2 मार्च 2023	7,000	12,000	10,000	29,000
8 मार्च 2023	9 मार्च 2023	7,000	12,000	10,000	29,000
15 मार्च 2023	16 मार्च 2023	7,000	12,000	10,000	29,000
23 मार्च 2023	24 मार्च 2023	7,000	12,000	10,000	29,000
29 मार्च 2023	31 मार्च 2023	7,000	12,000	10,000	29,000
कुल		**91,000**	**1,59,000**	**1,30,000**	**3,80,000**

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होगा तो उसे प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

(योगेश दयाल)

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1459

मुख्य महाप्रबंधक